



सत्यमेव जयते

स्वपरायण, मानसिक मंदता, सेरेब्रल पाल्सी, बहुविकलांगों हेतु

‘उद्यम प्रभा’ योजना



राष्ट्रीय न्यास भारत सरकार द्वारा स्वपरायणता, मानसिक मंदता, सेरेब्रलपाल्सी, बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के लिए आर्थिक प्रोन्नित गतिविधियों की प्रोत्साहन योजना।

आवेदन :- फार्म को अंग्रेजी में भरना है, फार्म के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की फोटोकॉपी लगाएँ :-

1. विकलांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
2. व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
5. निवास एवं आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित
6. संयुक्त पासपोर्ट साईज 4 फोटो
7. संयुक्त बैंक खाता (माता-पिता)

::- पात्रता की शर्तें -::

- प्रति निःशक्त व्यक्ति एक लाख रुपये तक ऋण ले सकते हैं।
- ऋण मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों से लेना होगा।
- स्वपरायणता, मानसिक मंदता, सेरेब्रलपाल्सी एवं बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए 5% ब्याज सुविधा तथा अन्य वर्गों के लिए 3% की राशि प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
- 18 वर्ष से अधिक आयु का उक्त विकलांगता पीडित व्यक्ति।
- पारिवारिक मासिक आय 15 हजार रुपये मासिक से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- आवेदन जिले की लोकल लेवल कमेटी, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से किया जा सकता है।

जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र (डी.डी.आर.सी.)

अशोकनगर (म.प्र.)-473331

E-Mail ID :- ddrc.ashoknagar@gmail.com (☎- 07543-& 222461)

उद्यम प्रभा (प्रोत्साहन) योजना आवेदन-पत्र

1. नाम
(माध्यमिक स्तरीय/विद्यालय प्रमाण-पत्र के अनुसार)
2. पता
.....
राज्य.....पिन.....फोन/मोबाईल नं.
3. जन्म तिथि
4. लिंग (पुरुष/महिला)
5. निःशक्तता का प्रकार
(स्वपरायणता, मानसिक मंदता, सरेब्रलपल्सी, बहुविकलांगता)
6. निःशक्तता का प्रतिशत
7. ऋण का उद्देश्य (विवरण संलग्न करें अगर कोई हो)
8. ऋण का विवरण -

क्रमांक	व्यक्तिगत	विवरण
1	ऋण लेने वाले संस्थान का नाम, शाखा एवं पता	
2	ऋण खाता संख्या	
3	ऋण की रकम	
4	ब्याज की दर	
5	भुगतान की तारीख	
6	एक मुश्त वार्षिक किश्त	
7	ऋण के लिए दी गयी प्रतिभूति	
8	अन्य उपयुक्त जानकारी	

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर